

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

—: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

क्रमांक एफ 4-174/2012/18-~~1~~ : राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान, भोपाल की नियमावली के नियम-7 एवं 10 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार शासी परिषद् एवं कार्य परिषद् का गठन किया जाता है :-


शासी परिषद्

1. माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग — सदस्य
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग — सदस्य
6. राज्य शासन द्वारा मनोनीत नगर निगम के महापौर — सदस्य
7. संचालक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल — सदस्य
8. संचालक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली — सदस्य
9. म.प्र.शासन द्वारा मनोनीत औद्योगिक जगत के 02 प्रतिनिधि — सदस्य
10. म.प्र.शासन द्वारा मनोनीत सिविल सोसायटी एवं प्रबंधन क्षेत्र के 02 प्रतिनिधि — सदस्य
11. निदेशक, राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान, भोपाल — सदस्य सचिव

कार्य परिषद्

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग — अध्यक्ष
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल — उपाध्यक्ष
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग — सदस्य
4. भारत सरकार द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ — सदस्य
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ — सदस्य
6. शासी परिषद् द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ — सदस्य
7. निदेशक, राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान, भोपाल — सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(के.के.कातिया) 25/11/14
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क0 एफ 4-174/2012/18-~~1~~

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि, शासी परिषद्/कार्य परिषद् के सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव 25/11/14

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग